दिनांक– 08.02.2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण कार्य कर रही एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रगति के समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– संधारित

दिनांक 08.02.2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में पूर्वाहन 11:00 बजे आहूत की गई, जिसमें विशेष सर्वेक्षण कार्य कर रही तीनों एजेंसियों यथा आई0आई0सी0, हैदराबाद, आई0एल0एण्डएफ0एस0, नई दिल्ली एवं जी0आई0एस0 कन्सोरसियम, नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सर्वप्रथम निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बैठक में शामिल प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विकास आयुक्त बिहार को यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि :–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम – 2011 एवं नियमावली–2012 के आलोक में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण हेतु अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है।

वर्त्तमान में राज्य के 38 (दो जिलों यथा बेतिया एवं मधुबनी में अंशिक शेष) जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है जिसमें 10 जिलों यथा लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के लिए एजेंसी द्वारा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को मानचित्र उपलब्ध करा दिया गया है।

शेष 27 जिलों का डाटा भारत सरकार को सुरक्षा जाँच हेतु समर्पित किया जा चुका है, जिसमें सभी जिलों के हवाई फोटोग्राफी डाटा का सुरक्षा जाँच सम्पन्न किया जा चुका है तथा उनमें से 03 जिलों यथा नवादा, जमुई तथा बांका के लिए मानचित्र निर्माण की अनुमति 11 जनवरी, 2017 को प्रदान की गई है तथा शेष जिलों में मानचित्र निर्माण की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

निदेशक द्वारा यह जानकारी भी उपलब्ध करायी गयी कि वर्त्तमान में बन्दोबस्त पदाधिकारी का प्रभार संबंधित जिलों के समाहर्त्ता को दिया गया है तथा अपर समाहर्त्ता एव जिले के अन्य पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी का कार्य देख रहे है। कार्य व्यस्तता के कारण री–सर्वे कार्य का अनुश्रवण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यदि स्वतंत्र प्रभार के बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी सभी जिलो में उपलब्ध करा दिया जाये तो आशानुरूप प्रगति सम्भव है।

2. बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा MoU का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि एजेन्सियों द्वारा MoU की कतिपय कंडिकाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिनमें मुख्य हैं :–

4.2.7 The Survey agency shall demarcate field tri junctions on the mapsheet for measurement of village boundary from the parcels.

4.2.8 The Survey agency shall provide at least one TS operator and two support staff for each revenue village for verification of re-survey maps at ground level.

3 विकास आयुक्त, बिहार द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य कर रही तीनों एजेंसियों के उपस्थित प्रतिनिधियों को निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

3.1 MoU के अनुसार सर्वे कार्य के जानकार ई0टी0एस0 ऑपरेटर के माध्यम से धरातल सत्यापन का कार्य करवाया जाय। यह काम तकनीकी रूप से पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए।

3.2 एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैप के सत्यापन हेतु प्रत्येक गाँव में टी0एस0 ऑपरेटर एवं स्पोर्ट स्टॉफ उपलब्ध कराया जाय।

3.3 निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को यह निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित Technical Rules का निर्माण शीघ्र कर लिया जाय।

3.4 सर्वे कार्य कर रही एजेंसियों एवं बन्दोबस्त कार्यालयों के कार्य को MoU के आधार पर चिन्हित कर समुचित निदेश सभी संबंधितों को उपलब्ध कराया जाए ताकि सर्वे कार्य में आशातीत प्रगति प्राप्त की जा सके।

3.5 प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एजेंसियों को निदेशित किया गया कि उनके द्वारा हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से तैयार मानचित्र को सत्यापित करते हुए यह अंकित किया जाए कि उनके द्वारा समर्पित मानचित्र तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित एवं वास्तविक सरजमीन की स्थिति के अनुरूप पूर्ण रूप से शुद्ध है।

3.6 निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप को वर्तमान में राज्य के 10 जिलों यथा-बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति का दैनिक एवं साप्ताहिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

3.7 बैठक में प्रधान सचिव द्वारा जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वे कार्य कर रही एजेंसियों के कार्यों के प्रगति की ऑनलाईन समीक्षा हेतु MoU में वर्णित एजेंसी के दायित्व के आधार पर एक ऑनलाईन रिपोटिंग प्रपत्र को विकसित किया जाय जिससे कि हवाई फोटोग्राफी कार्य से लेकर मानचित्र निर्माण की स्थिति तक एजेंसी के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके।

4. विकास आयुक्त, बिहार द्वारा हवाई सर्वेक्षण कार्य कर रही तीनों एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सर्वे कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

अन्त में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक	(विवेक कुमार सिंह)	(शिशिर सिन्हा)
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	प्रधान सचिव	विकास आयुक्त
बिहार, पटना।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना।	बिहार

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (मानचित्र प्रतिवेदन)-22/2017...549 पटना, दिनांक :-20/04/2017

प्रतिलिपि :- M/s IIC Technologies Ltd., Hyderabad/M/s. IL&FS Environmental Infrastructure Servies Ltd., New Delhi/M/s. GIS Consortium India PVt. Ltd. Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :– 17–री–सर्वे (मानचित्र प्रतिवेदन)–22/2017 549 पटना, दिनांक :–20/04/2017

प्रतिलिपि :– जी0आई0एस0 सलाहकार/एल0आई0एस0 सलाहकार, बिहार, प्रोजेक्ट मैनेजमैंट यूनिट, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :– 17–री–सर्वे (मानचित्र प्रतिवेदन)–22/2017 549 पटना, दिनांक :–20/04/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

ज्ञापांक :– 17–री–सर्वे (मानचित्र प्रतिवेदन)–22/2017 549 पटना, दिनांक :–20/04/2017

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक